

0364-2223320  
FAX: 0364-2223170/2224937  
E-Mail: megh.gdc soi@gov.in



भारतीय सर्वेक्षण विभाग  
SURVEY OF INDIA

निदेशक का कार्यालय OFFICE OF DIRECTOR  
मेघालय एवं अरुणाचल प्रदेश  
MEGHALAYA & ARUNACHAL PRADESH  
भू-स्थानिक आंकड़ा केंद्र GEO-SPATIAL DATA CENTRE  
डाक पेटी सं- 89 POST BOX NO. #89  
माल्की, शिलांग-793 001 MALKI, SHILLONG - 793 001  
मेघालय, भारत MEGHALAYA, INDIA

नेमी आदेश संख्या - (प्रशासनिक), दिनांक: जुलाई 2023

ROUTINE ORDER NO. 13 (ADM), DATED 14 JULY, 2023

1. एमएसीपी योजना के तहत प्रथम वित्तीय उन्नयन का अनुदान/GRANT OF 1<sup>st</sup> FINANCIAL UPGRADATION UNDER MACP SCHEME.

मेघालय और अ. प्र. जीडीसी, सर्वे ऑफ इंडिया, शिलांग के नीचे उल्लिखित मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस) को केंद्र सरकार के लिए एमएसीपी योजना के तहत पहला वित्तीय उन्नयन प्रदान किया गया है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के ओ.एम. सं. 35034/3/2015-स्था. (डी) दिनांक 22-10-2019 (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के पत्र क्रमांक सी-6768/1902-एमएसीपी (जेनएल) दिनांक 04-11-2019 द्वारा प्राप्त) के अनुसार कर्मचारी को वेतन मैट्रिक्स के लेवल -2 (19,900- 63,200) में उनके सामने दर्शाई गई तारीख से प्रभावी होंगे। / The under mentioned Multi Tasking Staff (MTS) of Meghalaya & Ar. P. GDC, Survey of India, Shillong are hereby granted 1<sup>st</sup> Financial Upgradation under MACP Scheme for Central Govt. Employees in the **Level-2 of Pay Matrix (19,900- 63,200)** with effect from the date shown against them in accordance with the Ministry of Personnel, Public Grievances & Pension (Dept. of Personnel & Training) O.M. No. 35034/3/2015-Estt. (D) dated 22-10-2019 (received vide Department of Science & Technology letter No. C-6768/1902-MACP(Genl) dated 04-11-2019).

Sl. No.	Name	Designation	Date from which 1 <sup>st</sup> Financial Upgradation is admissible
1.	Smt. Pranati Sennapati	MTS	01-10-2013
2.	Smt. Badamon Warkhyllaw	MTS	01-04-2019

उपरोक्त अधिकारियों को नए वेतनमान में अपने वेतन के निर्धारण के लिए FR.22(1)(a)(1) के तहत एक विकल्प का उपयोग करना आवश्यक है। /The above officers are required to exercise an option under FR.22(1)(a)(1) for fixation of their pay in the new scale of Pay.

इसमें शामिल अतिरिक्त व्यय वर्ष 2023-24 के लिए मेघा. और अरुणाचल प्रदेश जीडीसी, शिलांग के स्वीकृत बजट अनुदान में से पूरा किया जाएगा। और इसे उचित लेखा शीर्षक से डेबिट किया जाएगा। / The extra expenditure involved will be met from within the sanctioned budget grant of the Megh. & Ar. Pradesh GDC, Shillong for the year 2023-24 and will be debited to the appropriate head of account.

उपरोक्त अधिकारियों का वेतन कार्यालय प्रमुख द्वारा तय किया जाएगा।/Pay of the above officers will be fixed by the Head of Office.

(Authority:- SG's letter No. C-2357/1902-MACP (Group 'D') dated 21-06-2023)

## 2. एमएसीपी योजना के तहत द्वितीय वित्तीय उन्नयन का अनुदान/GRANT OF 2<sup>nd</sup> FINANCIAL UPGRADATION UNDER MACP SCHEME.

मेघालय और अ. प्र. जीडीसी, सर्वे ऑफ इंडिया, शिलांग के नीचे उल्लिखित मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस) को केंद्र सरकार के लिए एमएसीपी योजना के तहत दूसरा वित्तीय उन्नयन प्रदान किया गया है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) ओ.एम. सं. 35034/3/2015-स्था. (डी) दिनांक 22-10-2019 (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के पत्र क्रमांक सी-6768/1902-एमएसीपी (जेनएल) दिनांक 04-11-2019 द्वारा प्राप्त) के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के स्तर -3 (21,700- 69,100) में कर्मचारी के उनके सामने दर्शाई गई तारीख से प्रभावी होंगे। /The under mentioned Multi Tasking Staff (MTS) of Meghalaya & Ar. P. GDC, Survey of India, Shillong is hereby granted 2<sup>nd</sup> Financial Upgradation under MACP Scheme for Central Govt. Employees in the Level-3 of Pay Matrix (21,700- 69,100) with effect from the date shown against them in accordance with the Ministry of Personnel, Public Grievances & Pension (Dept. of Personnel & Training) O.M. No. 35034/3/2015-Estt. (D) dated 22-10-2019 (received vide Department of Science & Technology letter No. C-6768/1902-MACP(Genl) dated 04-11-2019).

Sl. No.	Name	Designation	Date from which 2nd Financial Upgradation is admissible
1.	Smt. Kranti Mary Nongspung	MTS	01-08-2023

उपरोक्त अधिकारियों को नए वेतनमान में अपने वेतन के निर्धारण के लिए FR.22(1)(a)(1) के तहत एक विकल्प का उपयोग करना आवश्यक है। /The above officers are required to exercise an option under FR.22(1)(a)(1) for fixation of their pay in the new scale of Pay.

इसमें शामिल अतिरिक्त व्यय वर्ष 2023-24 के लिए मेघा. और अरुणाचल प्रदेश जीडीसी, शिलांग के स्वीकृत बजट अनुदान में से पूरा किया जाएगा। और इसे उचित लेखा शीर्षक से डेबिट किया जाएगा। / The extra expenditure involved will be met from within the sanctioned budget grant of the Megh. & Ar. Pradesh GDC, Shillong for the year 2023-24 and will be debited to the appropriate head of account.

उपरोक्त अधिकारियों का वेतन कार्यालय प्रमुख द्वारा तय किया जाएगा।/Pay of the above officers will be fixed by the Head of Office.

(Authority:- SG's letter No. C-2357/1902-MACP (Group 'D') dated 21-06-2023)

## 3. रोकी गई वेतनवृद्धि जारी/RELEASED OF WITHHELD INCREMENT

(i) केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के नियम 14 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाई के परिणामस्वरूप, "संचयी प्रभाव के बिना तीन साल के लिए एक वेतन वृद्धि रोकने" का दंड श्री जशाधीर पॉल, सर्वेक्षक को दिनांक 01.10.2017 से 30-06-2023 तक इस कार्यालय के आर.ओ. सं. 04 (एडीएम) दिनांक 06-05-2020 के तहत प्रदान किया गया है। /As a result of disciplinary action under Rule 14 of Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, penalty of "withholding one increment of pay for three years without cumulative effect." has been awarded to Shri Jashadhir Paul, Surveyor w.e.f. 01-07-2020 to 30-06-2023 vide this office R.O. No. 04 (ADM) dated 06-05-2020.

चूंकि वेतन वृद्धि रोकने का जुर्माना संचयी प्रभाव के बिना है और जुर्माने की मुद्रा अवधि पूरी हो चुकी है, तीन साल से रोकी गई वेतन वृद्धि को 11.01.2020 से जारी किया जाता है। / As the penalty of withholding increment is without cumulative effect and the currency period of the penalty has been completed, the increments which were withheld for three years is hereby released w.e.f. 01-07-2023.

(ii) केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के नियम 14 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही के परिणामस्वरूप, "संचयी प्रभाव" के बिना तीन साल के लिए एक वेतन वृद्धि रोकने का दंड श्री बिकास चेत्री, सर्वेक्षक को 01-07-2020 to 30-06-2023 तक इस कार्यालय के आर.ओ.सं.04 (एडीएम) दिनांक 06-05-2020 के तहत दिया किया गया है।/ As a result of disciplinary action under Rule 14 of Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, penalty of "withholding one increment of pay for three years without cumulative effect." has been awarded to Shri Bikash Chettri, Surveyor w.e.f. 01-07-2020 to 30-06-2023 vide this office R.O. No. 04 (ADM) dated 06-05-2020.

चूंकि वेतन वृद्धि रोकने का जुर्माना संचयी प्रभाव के बिना है और जुर्माने की मुद्रा अवधि पूरी हो चुकी है, तीन साल से रोकी गई वेतन वृद्धि को 11.01.2020 से जारी किया जाता है।/ As the penalty of withholding increment is without cumulative effect and the currency period of the penalty has been completed, **the increments which were withheld for three years is hereby released w.e.f. 01-07-2023.**

रंजन नेगी

(कर्नल रंजन नेगी)

निदेशक

मेघालय एव अरुणाचल प्रदेश जीडीसी

**Distribution:-**

1. The Surveyor General of India, Dehra Dun for information please.
2. The Addl. S.G., NEZ, Shillong for information, please.
3. The Accounts Officer, RP&AO, Kokata for information and necessary action, please.
4. The Website In-charge, Survey of India website (Kaushal Kishore Shukla <[admn.soi@gov.in](mailto:admn.soi@gov.in)>) with a request to publish on SOI website, please.
5. E. & A.O, Megh. & Ar. P. GDC for information and necessary action, please.
6. File: 37-G-9/14-C-1 (MACP)